Hari Bhoomi, Bhopal, 09/02/2026

Page No: 3, Size: 23.10cm × 18.31cm

आर्य समाज मंदिर के पास संचालित हो रही शराब दुकान का किया औचक निरीक्षण

मानव अधिकार आयोग सदस्य ने इंची टेप लेकर खुद नापी मंदिर से शराब दुकान तक की दूरी, 50 मीटर भी नहीं निकली

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने राजधानी के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के पास संचालित शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं एवं स्थानीय रहवासियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी शिकायत सुनीं। निरीक्षण के दौरान कानूनगो ने जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा दिए गए उस लिखित जवाब पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें कहा गया था कि आर्य समाज का मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं स्वयं यहां देखने आया हूं कि वह कौन लोग हैं जो भगवान के होने का प्रमाण मांग रहे हैं। आस्था और धार्मिक स्थलों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद कानूनगो ने स्वयं इंचीटेप लेकर शराब की दुकान और आर्य समाज मंदिर के बीच की वास्तविक दूरी की माप की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मंदिर से शराब दुकान की दूरी 50 मीटर से भी कम है, जो आबकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अनियमितता पर कानूनगो ने आबकारी अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि नियम विरुद्ध संचालित शराब की दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।

नियमों के उल्लंघन पर दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई

मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने किया औचक निरीक्षण।

निरीक्षण के दौरान कानूनगो ने कहा-धार्मिक स्थलों की गरिमा, नागरिकों की सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

दुकान पूरी तरह अवैध रूप से हो रही संचालित

स्थानिय रहवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उक्त शराब की दुकान पूरी तरह आवासीय परिसर में, आवासीय अनुमति प्राप्त भूखंड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रहवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम भोपाल द्वारा 19 नवंबर 2025 को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद शराब की दुकान बेखौफ और अवैध रूप से संचालित होती रही है।

Source: https://www.indianewsnetwork.com/en/controversy-surrounds-ghooskhor-pandat-film-over-title-claims-20260209

Controversy Surrounds 'Ghooskhor Pandat' Film Over Title Claims

India News Network | 2026-02-09
Protests arise over Netflix's 'Ghooskhor Pandat' film title, prompting Neeraj Pandey to apologise and withdraw promotional material amid backlash.
The anticipated Netflix film 'Ghooskhor Pandat' has ignited controversy in India, leading to legal action following objections regarding its title. On February 6, 2026, the Uttar Pradesh Police filed a First Information Report (FIR) against the film's creators after numerous complaints suggested that the title could disrupt social harmony and offend religious and caste sensibilities.
The FIR was initiated in response to the film's teaser, which features Manoj Bajpayee in the role of a corrupt police officer. This teaser, released during a recent Netflix event in Mumbai, attracted swift backlash, particularly concerning the perceived derogatory implications of the term 'Pandat' — a colloquial term for Brahmins — when combined with 'Ghooskhor,' which refers to a bribe-taker. Critics argue that this association unfairly stereotypes the Brahmin community.
Prominent political figures have joined the outcry against the film. Mayawati, leader of the Bahujan Samaj Party, stated on social media that it was disheartening to see the term 'Pandit' depicted negatively in cinema. Additionally, Vinod Bansal, spokesperson for the Vishwa Hindu Parishad, denounced the title as 'totally unacceptable,' viewing it as an affront to a respected segment of Hindu society.
Further escalating the situation, a petition was lodged in the Delhi High Court, claiming that the film title intentionally maligns the Brahmin community by linking it to corruption. In light of these events, the National Human Rights Commission has also taken action, issuing a notice to India's Ministry of Information and Broadcasting regarding the negative portrayal of a recognised social group.
In response to the backlash, Neeraj Pandey, the film's producer and director, expressed regret for any distress caused by the title. He clarified via social media that 'Ghooskhor Pandat' is not a commentary on any community, stating, 'Our film is a fictional cop drama'. Pandey further underscored that 'Pandat' was used merely as a character name in the narrative, describing it as a depiction of morally ambiguous actions rather than a reflection on real-life communities.
Additionally, Manoj Bajpayee took to social media to share his perspective, urging that the film should not be interpreted as targeting any group. He noted, 'I respect the emotions and concerns people have shared.' His commitment to addressing the hurt caused was clear when he remarked that filmmakers must listen when a project evokes negative feelings.
The Federation of Western India Cine Employees (FWICE) has also condemned the title. BF Tiwari, the President of FWICE, stated that such filmmakers disrespect communal sentiments and called for a ban on the film and its creators. He emphasised that the organisation would not offer any cooperation to the producers or the streaming platform.
The uproar surrounding 'Ghooskhor Pandat' has highlighted the challenges filmmakers face regarding sensitive portrayal of communities in contemporary cinema. While the film is slated for release later this year, the ongoing discussions suggest a potentially tumultuous journey ahead for the project's completion and public reception.

Source: https://www.metroindia.net/news/articlenews/ghooskhor-pandit-controversy-freedom-of-expression-limits-35177

Ghooskhor Pandit controversy freedom of expression limits

09-02-2026 12:00:00 AM

In a brewing storm that has engulfed Bollywood even before a single frame hits the screens, the film Ghooskhor Pandat, directed by Niraj Pandey and starring Manoj Bajpayee, is at the centre of intense controversy. Critics and members of the Brahmin community have accused the film's title of deliberately tarnishing the image of Hindu priests. The title, which loosely translates to "bribe-taking Brahman" or "corrupt priest," is seen by many as a direct attack on a respected caste identifier, linking it to criminality and generalizing an entire community. This backlash has escalated rapidly, drawing in political leaders, police action, and legal interventions across India.

The outrage began with allegations that the title defames Brahmins by portraying them as inherently corrupt. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath has directed the filing of First Information Reports (FIRs) against the filmmakers. Former Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati has been vocal in her condemnation, describing the title as a matter of "great sorrow and concern" that spreads anger nationwide and negatively stereotypes the Brahmin community. She has demanded an immediate ban on the film and supported the FIR lodged at Lucknow's Hazratganj police station.

Adding to the pressure, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Ministry of Information and Broadcasting, alleging that the film promotes negative stereotypes and vilifies a social group. In response, the filmmakers have insisted that the movie is being judged solely by its title, not its content. Director Niraj Pandey has clarified that Ghooskhor Pandat is a fictional cop thriller, where "Pandat" serves as a colloquial nickname for the flawed police officer character, Ajay Dikshit, played by Bajpayee. Bajpayee himself has emphasized that the character's journey is about self-realization, not social commentary. As a conciliatory gesture amid the uproar, the team has removed all promotional materials, including the teaser, while awaiting court decisions.

This incident is far from isolated in Indian cinema, where films have repeatedly bowed to social and political pressures. Historical precedents abound: In 2007, then-Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati demanded a nationwide ban on Madhuri Dixit's comeback film “Aaja Nachle” over a lyric deemed derogatory to Dalits. Filmmaker Yash Chopra issued an apology, and the film was released only after interventions from the Central Board of Film Certification (CBFC) and the National Commission for Scheduled Castes.

Similarly, Shah Rukh Khan's Billu Barber dropped "Barber" from its title following protests from salon associations who found the term offensive, rebranding it as Billu. Mental Hai Kya became Judgementall Hai Kya after criticism for insensitivity toward mental health. Deepa Mehta's Padmavati was renamed Padmaavat amid Karni Sena protests, and John Abraham's Jaffna was changed to Madras Cafe due to objections from Sri Lanka. These examples highlight how filmmakers often navigate a minefield of demands from various societal groups, with courts, censors, politicians, and public outrage dictating changes.

A BJP spokesperson strongly condemned the title, arguing it deliberately targets Hindus and Brahmins, inciting unrest and promoting negative stereotypes. He questioned the filmmakers' intentions, suggesting the title was chosen for sensationalism and eyeballs, drawing parallels to past films like Padmaavat where historical figures were portrayed controversially. Giri emphasized that while fiction allows creativity, generalizing a community as corrupt is unacceptable and could lead to societal division. He maintained that if content or titles cause trouble, communities have the right to complain.

An author and film historian echoed some of these concerns, asserting that the title was intentionally provocative

to attract attention in a crowded market like Netflix, where dozens of films release daily. He pointed out that titles are crucial for evoking reactions and cited examples like Wednesday (another Pandey film) or R... Rajkumar, where names set expectations. He argued that if the filmmakers believed the title was harmless, they should stand by it, but the backlash—including FIRs and potential boycotts—reflects the realities of India's diverse society.

He dismissed claims of unintentional offense, noting that in an era of short attention spans, titles are designed for maximum impact, and filmmakers cannot feign surprise at the fallout. He also referenced broader issues in cinema, such as stereotypes of Muslims as terrorists or villains in skull caps, acknowledging that objections arise across communities but often lead to changes for commercial viability.

A senior film critic and writer offered a more balanced view, defending the filmmakers' artistic freedom and integrity. He described Niraj Pandey as a mature director focused on business, not malice, citing his recent Netflix release Tuskeri as evidence of his non-controversial track record. He argued that the title, while evocative, was unintentional in its offense, and Netflix, as an international platform reaching 122 countries, would prioritize avoiding communal controversy by changing it. He stressed that films mirror society and are inspired by reality, but not meant to malign groups.

The episode underscored the confusion in drawing lines: some films educate, others entertain, yet objections arise universally. As Netflix has already pulled promotional material and the title change looms, the incident raises broader questions about who decides offensiveness—courts, politicians, or the public—and whether Indian cinema can ever truly escape such scrutiny. The story continues to unfold, with the film's fate hanging in the balance.

NDTV, Online News, 09/02/2026

Source: https://www.ndtv.com/video/conjoined-twins-reference-in-poll-speech-lands-cm-revanth-reddy-in-controversy-1057935

Conjoined Twins Reference in Poll Speech Lands CM Revanth Reddy In Controversy

Published On: February 08, 2026

A political controversy has erupted in Telangana after Chief Minister Revanth Reddy used a reference to conjoined twins Veena-Vani while attacking the BJP and BRS during a poll pitch. BJP MP Dharmapuri Arvind has lodged complaints with the National Commission for Women and the National Human Rights Commission, calling the remarks insensitive and inappropriate. The BJP has demanded strict action, alleging the comments violated principles of dignity, equality, and human rights.

Source:
https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2026/Feb/08/bjp-mp-arvind-moves-nhrc-over-telangana-cms-conjoined-twins-remarks

BJP MP Arvind moves NHRC over Telangana CM’s conjoined twins remarks

Arvind requested the authorities concerned to take appropriate steps to ensure that the dignity of women and persons facing medical and physical challenges is protected and respected in public life.

Express News Service
Updated on: 08 Feb 2026, 10:02 am
1 min read

HYDERABAD: BJP MP Dharmapuri Arvind has lodged a complaint with the National Commission for Women and the National Human Rights Commission of India against Chief Minister A Revanth Reddy, over his alleged public statement concerning conjoined twins Veena and Vani.

In his complaint, the MP expressed deep concern over the remarks allegedly made by the chief minister during a public speech on 6 February at Nizamabad. He stated that the use of a serious congenital medical condition in political comparison is deeply insensitive and undermines the dignity of individuals who have shown extraordinary courage and resilience in overcoming social and medical challenges.

He highlighted that Veena and Vani are inspiring young women from Telangana who have successfully completed their B Com degree and are now preparing to pursue Chartered Accountancy (CA), one of the most demanding professional qualifications in India. Their journey stands as a symbol of determination, intellectual strength, and hope for thousands of differently-abled individuals across the country, the BJP MP added.

The complaints submitted to the Commissions request appropriate examination of the matter and necessary action as per applicable laws, guidelines, and constitutional protections relating to dignity, equality, and human rights. He requested the authorities concerned to take appropriate steps to ensure that the dignity of women and persons facing medical and physical challenges is protected and respected in public life.

Source: https://www.scoopwhoop.com/national-news/mid-day-meal-or-medical-emergency-bihar-school-incident-leaves-over-70-kids-ill/?ref=read_hot

Mid-Day Meal Or Medical Emergency? Bihar School Incident Leaves Over 70 Kids Ill

ScoopWhoop News Desk | National News | Feb 08, 2026 at 04:49 PM
vernment school is usually the most ordinary thing. Steel plates, a quick line, kids complaining about the sabzi, someone asking for extra rice, and teachers trying to keep the noise under control. But unfortunately, this was not what unfolded at the lunch table in Bihar's Madhepura district.
Soon after children were served their mid-may meals, a side of panic from their plates took over. A few complained of falling sick, stomach pain, dizziness, and uneasiness. Soon the number grew, as dozens of children held their stomachs to express the growing pains. And soon after, 70 students were rushed to nearby health centres.
How did the incident unfold?
The incident happened at a school in Karu Tola, Sahugarh area of Madhepura. The children had their mid-day meal and soon after they started complaining of having a sick feeling in their stomachs. First, it began with 2-3 kids who faced vomiting, nausea, and sick tummies. Then the situation spread to a dozen, which cleared any or all doubts regarding "maybe that child was ill beforehand" and revealed the true scale of the issue.
Students were shifted quickly to nearby primary health centres and later to the district hospital as the number kept rising. Hospitals are filled with anxious families. Outside, parents gathered with a peculiar kind of fear that shows up only when one's own children are involved.
The affected children were treated and stabilised. Doctors carefully attended to children's issues; some faced abdominal pain, while others felt nausea and dizziness. All in all, they all were the markers of suspected food-related illness.
The symptoms were serious, and so is the story
Because hear us out, mid-day meals are not just any meals. For millions of children in rural parts of India, the mid-day meal is the one food they can really count on. This programme was created for one reason: to keep kids in school and make sure they get the nutrition they need.
So when something goes wrong, it is not about food poisoning. It affects something important. Parents start to wonder if the school is a place for their children and children begin to see lunch as something that is connected to fear.
At this point, we have to wait for the lab results to come back. People are still guessing what really happened. They want to know if an ingredient was contaminated or if the food had gone bad. They also want to know if the water that was used was contaminated. Food storage is another thing they look at or whether there was an accident during cooking that caused contamination in the food.
Meanwhile, The Human Scene Was Unforgettable
Teachers became the first responders as they took over the scene. They ordered and arranged to empty classrooms and call ambulances. Soon, wrought with panic, parents too arrived at the hospitals. Local residents hoped for just one thing, which was transparency, as when children are involved, emotions become inconsolable.
India Today said that what happened caused a lot of worry in the area and families want someone to take responsibility and give them answers. The families are looking for accountability from the people in charge of the incident.
This Isn't Just Madhepura, Similar Stories Keep Appearing

That is the really unsettling part. Not because mid-day meals are bad, c'mon, they feed millions of people every day. But when mistakes happen, they happen at a large scale. The scale of those affected cannot be measured, because the people involved in the case are already vulnerable.

And it is also important to remember that it is not one person, it is a whole school and many families that are affected.

The meal that shocked everyone: Mokama, Bihar

In the year 2025, a lunch at school ended in shock and dismay, rather than with a full stomach and a happy feeling. The Bihar case was in the news because it was so shocking that it felt like something that could not be real. A snake, yes, a dead snake, was found in the food that the kids were served at a school in Mokama, which is near Patna.

More than 100 children fell sick post it. Since the cause was so shocking and so deadly, the illness sparked protests and the National Human Rights Commission took suo moto cognisance. It also called for a report from the Bihar authorities. It became such a poignant example that people could not forget because it felt so bizarre. But for the families that were actually living this nightmare, it was truly terrifying.

The Curious Case Of Sambar & Rice At Sangareddy, Telangana

Just earlier this year, in Telangana's Sangareddy district, around 22 students were hospitalised, and a contaminated mid-day meal was behind it. They consumed the South Indian meal of sambhar and rice for lunch that day. It was not something that the cooking specialists did not know how to make; it was more like their daily meal.

The symptoms came fast like a big wave. The kids got sick with vomiting and stomach pain. They got ill all of a sudden. The kids got treatment, and they got better. A story about a different city, a different incident, but the same shock effect. The kids would eat lunch, and then they would end up in the hospital. The story of the school and the kids is really about the pattern of kids eating lunch and then getting really sick.

So, where does that leave us?

The point is not panic, the point is care. The Madhepura incident is still unfolding and will reveal important details once the investigation follows. The lab reports will be telling and the inquiry will solve questions. But right now, what matters most is the simplest thing: that children are safe and families deserve clarity. And school meals, something so basic, so everyday, should never become something parents fear, because lunch should be ordinary and should certainly not feel like an emergency.

Times of India, Online News, 09/02/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/10-birhor-children-rescued-from-gaya-after-going-missing-from-koderma/articleshow/128044639.cms

10 Birhor Children Rescued from Gaya After Going Missing from Koderma

TNN | Feb 8, 2026, 12.20 AM IST

Koderma/Ranchi: Ten Birhor kids from Gadiyai hamlet in Koderma district, who had gone missing after attending a feast at Parsabad around a week ago, were rescued from Gaya (Gayaji) in Bihar on Saturday. A team from Koderma brought back the kids to the state after completing the formalities. SP Anudeep Singh said the children wandered off, boarded the train at Parsabad, and were unable to get off at Yadudih station, which is near their hamlet.

Birhors fall under the Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) and are among Jharkhand's most vulnerable population. In Koderma, the Birhor community has a population of approximately 1,900 members across 21 villages.

On Friday, the administration went into a tizzy after their parents lodged a complaint with the Jainagar police station about the missing kids. Koderma SP Anudeep Singh formed multiple special investigation teams to trace them. Union minister for women and child development and Koderma MP Annapurna Devi had called for urgent action. The Koderma police had announced a reward of Rs 1 lakh for any information leading to their whereabouts.

The children had gone with their family members to attend a feast at Parsabad, around 3km away from their settlement. While the adults returned home following the event, the children did not. Initially, the families believed that the youngsters might have stayed back with their relatives or were playing nearby, but as days passed, panic gripped the hamlet as there were no signs of the children.

After a couple of days, when Rajendra Prasad Yadav, the head of Berogai panchayat, learnt about the case from their parents, he alerted the local block development office and the police. However, the distraught parents managed to file a complaint with the police on Friday.

The rescue of the children was the result of a chance breakthrough involving the Gaya Child Helpline. While the children were rescued by locals and police on February 2, the language barrier prevented them from communicating their details, including names or home addresses, to the officials in Bihar.

The Gaya Child Welfare Committee (CWC) had placed the children in various protective shelters across Gaya, Nawada, and Aurangabad. The deadlock was broken when Amit Pathak, the district coordinator of Childline in Gaya, spotted news reports regarding the missing children from Koderma and alerted the Jainagar police station on Saturday.

Human rights activist Onkar Vishwakarma on Saturday lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC), accusing police of delayed action in the 10 missing kids case. Talking to STOI over the phone, he said, "The Koderma police, despite being apprised earlier didn't react or take any initiative. The local mukhiya had approached the police station with the info, but they didn't take it seriously. Only on Friday, an FIR was filed after parents turned up at the station, and the matter reached higher-ups in the administration. Hence, I have requested the NHRC for action against erring cops."

Source: https://bansalnews.com/madhya-pradesh/bhopal/bhopal-sharab-dukan-protest-arya-samaj-mandir-arera-colony-temple-10-number-market-hindi-news-wks-11086835

भोपाल में शराब दुकान का विरोध: मंदिर-ठेके की दूरी इंची टेप से नापी, सिर्फ 29 मीटर का निकला अंतर, रहवासी बोले- ये प्रशासन की कैसी व्यवस्था ?

भोपाल शहर की सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने शराब ठेका संचालित किया जा रहा है। जिसको लेकर लंबे समय से रहवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक शराब दुकान को हटाया नहीं गया है।
sanjay warude | 08 Feb 2026 12:41 IST
Bhopal Sharab Dukan Protest: भोपाल में शराब दुकान हटाने को लेकर रविवार, 8 फरवरी 2026 को रहवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल शहर के 10 नंबर मार्केट स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने शराब ठेका संचालित किया जा रहा है। जिसको लेकर लंबे समय से रहवासी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक शराब दुकान को हटाया नहीं गया है। जिसके विरोध में फिर रहवासी एकजुट हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतर आए।
आर्य मंदिर और शराब ठेके में 29 मीटर का अंतर
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुख्य मार्ग पर आर्य समाज मंदिर के सामने सिर्फ 29 मीटर दूरी पर शराब दुकान चल रही है। एक ओर सुबह-शाम दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे, जबकि दूसरी ओर शराब दुकान पर नशेड़ियों का जमावड़ा लग रहा है। जहां आए दिन श्रद्धालु लड़ाई, गाली-गलौज जैसी घटनाओं का सामना कर रहे हैं। जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। प्रशासन की यह कैसी व्यवस्था है ?
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा- शराब दुकान और मंदिर का डिस्टेंस गाइडलाइन से कम है।
इंची टेप से नापी मंदिर और शराब ठेके की दूरी
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को आर्य समाज के मंदिर पहुंचे। आर्य समाज मंदिर में उन्होंने रहवासियों और श्रद्धालुओं से चर्चा की। प्रियंक कानूनगो ने इंची टेप से मंदिर से शराब दुकान की दूरी नापी। आर्य समाज मंदिर से महज 29 मीटर दूरी पर शराब दुकान निकली।
दुकान और मंदिर में डिस्टेंस गाइडलाइन से कम
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा- शराब दुकान और मंदिर का डिस्टेंस गाइडलाइन से कम है। ऐसे में अब शराब दुकान पर जल्द कार्रवाई की जाना चाहिए। हम मांग करते है कि प्रशासन शराब दुकान को जल्द से जल्द हटाए।
तिरपाल से ढंक कर अवैध अहाता भी संचालित हो रहा
स्थानीय रहवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उक्त शराब की दुकान पूरी तरह आवासीय परिसर में आवासीय अनुमति प्राप्त भूखंड पर अवैध रूप से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रहवासियों की शिकायत के बाद भोपाल नगर निगम द्वारा 19 नवंबर 2025 को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर व्यावसायिक गतिविधि बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद शराब की दुकान बेखौफ और अवैध रूप से संचालित होती रही। वहीं तिरपाल से ढंक कर अवैध अहाता भी संचालित होता पाया, जोकि कि कानूनन अपराध हैं।

Bhaskar Hindi, Online News, 09/02/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/chandigarh/news/mohali-ssp-nhrc-woman-harassment-report-probe-137152676.html

शादी का झांसा देकर रेप में NHRC मांगी एक्शन रिपोर्ट:मोहाली SSP से 2 हफ्ते में जांच व कार्रवाई को कहा, रिश्तेदार पर आरोप

चंडीगढ़ 8 घंटे पहले

महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और जातिसूचक अपमान से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मोहाली के एसएसपी से पूरे मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

एनएचआरसी ने कहा है कि मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी। अगर जांच में लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

यह मामला मोहाली निवासी महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके रिश्तेदार (जीजा के भाई) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए, उससे पैसे लिए, जातिसूचक गालियां दीं, गर्भनिरोधक गोलियां जबरन खिलाईं और शारीरिक मारपीट की। बाद में आरोपी ने महिला को ब्लॉक कर किसी और से सगाई कर ली।

पुलिस और महिला सेल पर भी उठे सवाल

शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने स्थानीय पुलिस और महिला सेल में कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे उसे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। महिला ने आयोग से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

एनएचआरसी ने शिकायत पर विचार करने के बाद कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े दिखाई देते हैं। इसी आधार पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है।

SSP को जांच के निर्देश

आयोग ने मोहाली के SSP को आदेश दिए हैं कि मामले की सही और निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। यह रिपोर्ट केवल HRCNet पोर्टल पर ही अपलोड करनी होगी, ई-मेल से भेजी गई रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।

Source: https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/questions-raised-by-the-uproar-over-a-book-and-a-film/amp

एक किताब और फिल्म को लेकर हंगामे से उपजे प्रश्न
'द ग्रेट गेम'

Jyoti Malhotra
Updated At : 10:48 PM Feb 08, 2026 IST

बीते सप्ताह नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक पूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा लिखी गई किताब को लेकर उठाए सवालों पर बहस की अनुमति न मिलने से लोकसभा बार-बार स्थगित हुई। मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दरअसल , लोकतंत्र में 'रणनीतिक मामलों' संबंधी सूचना को नियंत्रित करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। जबकि बड़ा सवाल इस नियंत्रण की सीमा का है।

गत सप्ताह एक फिल्म और एक किताब देशभर में चर्चा के केंद्र में रही, 'घूसखोर पंडत' नामक फिल्म का शीर्षक बदलने और इससे जुड़ी तमाम प्रचार सामग्री हटाने पर नेटफ्लिक्स ने सहमति जताई है, इससे पहले कुछ नाराज़ लोगों ने 'जातिवादी' अपमान का विरोध किया, लखनऊ के हज़रतगंज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से शिकायत की— प्रकरण के आखिर में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने जीत की घोषणा करते हुए कहा, 'सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'। भाटिया ने कहा, 'हम उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध हैं जो व्यावसायिक लाभ के लिए किसी भी जाति या समुदाय का अपमान करते हैं',और आगे कहा : 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है'। यह साफ़ नहीं कि बीजेपी नेता को क्या यह पता है कि ऐसा करते वक्त वे हास्य में निहित पहलू दबाने के अलावा व्यंग्य की मौत का जश्न भी मना रहे हैं। निश्चित ही, हास्यास्पद शीर्षकों का चलन हटा देना चाहिए।

या शायद अब इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, खासकर तब जब आधा हफ्ता लोकसभा में बार-बार के स्थगन में निकल गया हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई एक किताब को लेकर लगातार सवाल उठाने पर बज़िद रहे। सत्ताधारी बीजेपी भी उतनी ही दृढ़ता से अड़ी रही, किसी भी चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए यह तर्क दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और लिहाजा संसद में इस पर बहस नहीं की जा सकती।

जो चीज़ मौजूद नहीं, उस पर चर्चा संभव नहीं, ठीक? सिवाय इसके कि राहुल सदन के अंदर और बाहर प्रकाशन-पूर्व कॉपी लहराते रहे। हालांकि, इसकी पीडीएफ कॉपी पूरी दुनिया के पढ़ने के लिए उपलब्ध है। लेकिन सरकार भी सही है। किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं। रक्षा मंत्रालय अभी भी जांच कर रहा है कि इसकी सामग्री सही है या नहीं।

जनरल नरवणे के आत्मकथात्मक विवरण में कुछ दिलचस्प बातें हैं। इनमें जून 2020 में लद्दाख के गलवान में भारत-चीन के बीच हुआ टकराव शामिल है - जब 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, और चार चीनी सैनिक भी मारे गए थे, हालांकि रूस की 'तास' जैसी विदेशी समाचार एजेंसियों का कहना था कि 45 चीनी मारे गए थे - साथ ही कुछ महीने बाद कैलाश शृंखला में हुई कार्रवाई का जिक्र भी है। किताब में भूटान के प्रभावशाली पूर्व राजा, जिग्मे सिंग्ये वांगचुक, जो के-4 नाम से लोकप्रिय हैं, उनके साथ हुई बातचीत; रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आए संदेश; इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के साथ बैठकों का जिक्र भी शामिल है।

देखा जाए तो, जिस पैराग्राफ ने राजनीतिक तूफान खड़ा किया है, वह लगभग हानिरहित है, और वास्तव में पूर्व सेना प्रमुख की कुछ पेसोपेश प्रस्तुत करता है - एक पैराग्राफ जिसे राहुल ने पकड़ रखा है। वह यह है कि जब चीनी सेना पीएलए के चार टैंक फिंगर-4 के पूर्व में कैलाश की चोटियों पर कब्जा जमा चुके भारतीय सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे, तो जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे पूछा कि अगली कार्रवाई पर मेरे लिए क्या आदेश है। इस पर राजनाथ सिंह ने, कथित तौर पर पीएम से बात करने के उपरांत, कुछ घंटों के बाद उन्हें वापस फोन किया।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक साल से भी पहले किताब के प्रकाशक द्वारा भेजी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया है,नरवणे लिखते हैः'मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति की गंभीरता बताई, जिन्होंने कहा कि वह मुझसे वापस संपर्क करेंगे, जो उन्होंने लगभग 22.30 बजे किया। उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और यह मामला पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय है। 'जो उचित समझो, वो करो'। किसी सुस्पष्ट निर्णय की अनुपस्थिति में मुझे 'कोरा कागज़' पकड़ा दिया। खुली छूट के साथ, सारा दारोमदार मुझ पर छोड़ दिया गया। मैंने गहरी सांस ली और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा'। सोचकर देखिए, क्या किसी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को अपने सेना प्रमुख से यही नहीं कहना चाहिए? वे सेनाध्यक्ष इसीलिए हैं कि ज़मीनी हकीकत का उन्हें सबसे अच्छी तरह पता हो, खासकर जब दुश्मन आगे बढ़ रहा हो, और इसलिए देशहित में जो बेहतरीन हो, उसे वही करना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि जब राजनीति सैन्य मामलों में दखल देती है, तो क्या होता है, और इसके उलट का भी। भारत के पड़ोसी देश ढोंग करने वालों से भरे पड़े हैं, सैन्य और सिविलियन दोनों ही रूपों में। लेकिन हर कोई जानता है कि शक्तियों के बंटवारे में, जो लोकतंत्र की रीढ़ है, कुछ व्यावहारिक नियम दोनों पक्षों के लिए साफ-स्पष्ट होते हैं। राहुल गांधी का तर्क है कि जब से सरकार सत्ता में आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा उसका मुख्य मुद्दा रहा और जब 2020 में लद्दाख में संकट आया, तो प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष को सही सलाह नहीं दे पाए। निश्चित ही यह बहस का मुद्दा बनता है। यानि, गलवान में चीनी आपको क्यों पीछे

धकेल पाए, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए? उस झड़प में कोर कमांडर ले.जन. हरिन्दर सिंह की क्या भूमिका थी? आर्मी कमांडर, ले. जन. वाईके जोशी (किताब में नाम 'जो') ने इसे कैसे संभाला? गलवान त्रासदी से क्या सबक सीखे? निश्चित ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा पवित्र मानकर बहस से परे रखा जाता है और संचालन विवरणों का सरेआम खुलासा नहीं किया जा सकता– रक्षा मंत्रालय ने किताब का प्रकाशन इसीलिए रोक रखा है। लेकिन अब यह रोक बेमानी हो गई क्योंकि किताब की पीडीएफ कॉपी बड़े पैमाने पर पढ़ी जा रही है। जो बात रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले, वह सबको मालूम है।

और जो हमें इस छोटे से विवाद के सबसे महत्वपूर्ण सबक पर लाता है- जो निस्संदेह जल्दी ही किसी और मामले पर उठेगा- कि वह सारगर्भित शब्द, 'रणनीतिक मामला' जिसमें विदेश मामलों से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक शामिल है, उससे संबंधित सूचना नियंत्रण क्षमता का लोकतंत्र में बहुत महत्व है। जनता को कितना बताना है, के टेढ़े सवाल से हरेक सरकार जूझती है। लेकिन सनद रहे कि सूचना के इस युग में, डोनाल्ड ट्रम्प के 59वें दावे के बावजूद कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत-पाकिस्तान टकराव खत्म करवाया, जिसको लेकर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बन चुके हैं, विश्वसनीय बने रहने की क्षमता ही महत्वपूर्ण है। कारगिल युद्ध, जिसे कभी-कभी 'मीडिया युद्ध' भी कहा जाता है, इसका एक बड़ा सबक था। दूसरी ओर, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड (लद्दाख में आमना-सामना) और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों में एक अलग तरीका अपनाया गया, जो दुश्मन के सूचना चैनलों- वेबसाइटों, टीवी और वीडियो– द्वारा प्रसारित मिथ्या प्रचार को टक्कर देने और अपना प्रचार करने के मकसद से। जब संघर्ष जारी हो, शायद तब इसका औचित्य हो, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद, यह उलट पड़ जाती है।

लोग उत्सुक होते हैं, खासकर जब वे 5,000 साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े हों, और खून-खराबे और सुलह, दोनों से जुड़ी उनकी अपनी ऐतिहासिक यादें हों। इसलिए जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जन. अनिल चौहान ने ऑपरेशन खत्म होने के कुछ ही हफ़्तों बाद टीवी पर स्वीकार किया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक फाइटर जेट खोया,तो सवालों की झड़ी लग गई। कितने? कब? कैसे? असल में क्या हुआ था?

पुराने समय में, जब दुनिया शीत युद्ध की वजह से दो गुटों में बंटी थी, तत्कालीन पूर्वी गुट में एक शब्द था 'सामिज़्दत', जिसके तहत प्रतिद्वंद्वी गुट की सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी अख़बार, गद्य अथवा कविता की हस्तलिखित नकल करके उनके लोगों तक पहुंचा दो। 'घूसखोर पंडत' और नरवणे की किताब दोनों इस श्रेणी में आते हैं। कभी-कभी आप सोचते होते होंगे कि क्या किताब की पीडीएफ उसी का आधुनिक प्रारूप है।

लेखिका 'द ट्रिब्यून' की प्रधान संपादक हैं।

ETV Bharat, Online News, 09/02/2026

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/bhopal-protest-against-liquor-shop-near-arya-samaj-temple-women-protest-wine-shop-madhya-pradesh-news-mps26020802766

'अरेरा कॉलोनी की शांति लौटाओ, मंदिर के पास से शराब दुकान हटाओ', महिलाओं ने खोला मोर्चा

भोपाल में महिलाओं ने शराब की दुकान के विरोध में जमकर किया प्रदर्शन. आर्य समाज मंदिर के पास दुकान खुलने से क्षेत्रवासी नाराज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published: February 8, 2026 at 6:21 PM IST
3 Min Read
भोपाल: राजधानी भोपाल की पॉश अरेरा कॉलोनी में धार्मिक स्थल के पास अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया. रविवार को स्थानीय लोगों ने दुकान के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के पास संचालित शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि आर्य समाज मंदिर से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोला गया है जो ठीक नहीं है. इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही है.
आर्य समाज मंदिर के बगल में खुली शराब की दुकान
भोपाल में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां सरकार ने शराब की दुकान खोलने का ठेका ऐसे स्थानों पर दे दिया हैं, जहां धार्मिक स्थल और स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मौजूद हैं. जिसका समय-समय पर विरोध भी देखने को मिलता है. रविवार को अरेरा कॉलोनी में आर्य समाज मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खुल गई. जिसका लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं.
शाम में लगता है शराबियों का जमावड़ा
स्थानीय निवासी सरोज लता ने बताया कि "मंदिर के पास संचालित शराब दुकान को फौरन हटाया जाए. आर्य समाज मंदिर से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका खोला गया है, जो धार्मिक स्थल की गरिमा और सामाजिक माहौल के पूरी तरह खिलाफ है. शराब दुकान खुलने के कारण क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मंदिर और आसपास जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है."
प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि "मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, इसके साथ ही धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है. हम लोग लंबे समय से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में कई बार प्रशासन और आबकारी विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई."
प्रशासन की अनदेखी से नाराज लोगों ने अब सड़क पर उतरकर विरोध शुरू किया है. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्होंने शराब ठेका हटाने के समर्थन में नारेबाजी की. मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आर्य समाज मंदिर पहुंचकर अपना समर्थन दिया.

Source: https://www.inhnews.in/News/bhopal-chaos-at-liquor-shop-near-arya-samaj-temple-law-officer-measures-distance

Bhopal News : आर्य समाज मंदिर के पास शराब दुकान पर बवाल, कानूनगो ने मापी दूरी

vikash jain | 08 Feb 2026 14:51 PM

Bhopal News : राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी में धार्मिक स्थल के समीप शराब दुकान संचालित होने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आर्य समाज मंदिर से बेहद नजदीक चल रहे शराब ठेके के विरोध में स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ठेका तत्काल हटाने की मांग उठाई।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर के ठीक पास महज 29 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान संचालित हो रही है, जबकि नियमों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल से शराब ठेका कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए। इसके बावजूद खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में असंतोष का माहौल बन गया है।

प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. प्रियंक कानूनगो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं इंच टेप की मदद से मंदिर और शराब दुकान के बीच की दूरी नापी। माप में दूरी केवल 29 मीटर पाई गई। इस पर कानूनगो ने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन सामने है और वह रहवासियों की मांग के साथ खड़े हैं।

डॉ. कानूनगो ने कहा कि धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह की गतिविधियां सामाजिक वातावरण को प्रभावित करती हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को गंभीरता से उठाकर उचित कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे।

रहवासियों का कहना है कि एक ओर मंदिर में पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियां होती हैं, वहीं दूसरी ओर शराब दुकान के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया।

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस शराब ठेके को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन आबकारी विभाग ने मंदिर को धार्मिक स्थल मानने से इनकार करते हुए कार्रवाई से बचने का तर्क दिया था। अब ताजा प्रदर्शन और आयोग सदस्य की मौजूदगी के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

Source: https://lalluram.com/a-liquor-shop-just-29-meters-away-from-the-arya-samaj-temple-in-bhopal-residents-protest/

भोपाल में आर्य समाज मंदिर के सिर्फ 29 मीटर पर शराब ठेका! रहवासियों का प्रदर्शन, NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने खुद नापी दूरी

Rituraj Vaishnav | 08 Feb 2026, 01:48 PM

मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। यहां आर्य समाज मंदिर के ठीक बगल में सिर्फ 29 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान संचालित हो रही है। नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों से शराब ठेके कम से कम 100 मीटर दूर होने चाहिए, लेकिन यहां इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। लंबे समय से परेशान रहवासी आज मंदिर के बाहर सड़क पर उतर आए। उन्होंने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

वहीं इस दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. प्रियंक कानूनगो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद इंच टेप लेकर मंदिर और शराब दुकान के बीच की दूरी नापी और पाया कि यह महज 29 मीटर है। कानूनगो ने कहा, “नियम साफ है – 100 मीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन यहां 29 मीटर पर ही शराब ठेका चल रहा है। मैं रहवासियों के साथ खड़ा हूं और इस ठेके को हटवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा।”

रहवासियों का कहना है कि एक तरफ श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं, दूसरी तरफ नशेड़ी इकट्ठा हो रहे हैं, यह स्थानीय प्रशासन की नाकामी है। पहले भी इस मुद्दे पर NHRC में शिकायत हुई थी, लेकिन आबकारी विभाग ने मंदिर को ‘धार्मिक स्थल’ नहीं मानने का तर्क दिया था। अब प्रदर्शन और कानूनगो की सक्रियता से मामला गरमा गया है।

News18, Online News, 09/02/2026

Source: https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/bhopal-slaughterhouse-drugs-love-jihad-bhopal-crime-model-claims-nhrc-member-priyank-kanungo-local18-10162336.html

गौकशी, ड्रग्स, लव जिहाद! प्रियंक कानूनगो का बड़ा खुलासा- भोपाल क्राइम कैपिटल

Edited by: Sumit verma
Agency: Local18
Last Updated: February 08, 2026, 15:42 IST

भोपाल को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अपराधों का मॉडल बताया है. स्लॉटर हाउस संचालन से लेकर गौकशी, ड्रग्स और पहचान बदलकर यौन शोषण तक के मामलों में उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बिना सख्त कार्रवाई के हालात नहीं बदलेंगे.

शिवकांत आचार्य

भोपाल. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि भोपाल अपराधों के मॉडल का गढ़ बन गया है. अरेरा कॉलोनी में मंदिर-अस्पताल के पास बनी शराब दुकान को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए राजधानी पर सवाल उठा दिया. उन्होंने शहर को लेकर ऐसे दावे किए हैं, जो प्रशासन, पुलिस और समाज तीनों के लिए चेतावनी की तरह हैं. उनका कहना है कि भोपाल में अलग-अलग अपराध अपने-अपने स्तर पर नहीं, बल्कि एक संगठित मॉडल की तरह काम कर रहे हैं. इस मॉडल में गौकशी, ड्रग्स, यौन अपराध और पहचान छिपाकर शोषण जैसे मामलों की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया. शारिक मछली, एमडी ड्रग्स कांड, लव जिहाद, नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गायों की हत्याएं समाज के लिए कलंक हैं.

कानूनगो के अनुसार, भोपाल स्लॉटर हाउस से जुड़े मामले ने इस पूरे नेटवर्क को उजागर किया है. पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दावा किया कि स्लॉटर हाउस किसी निजी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा था. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर संचालन सरकारी तंत्र के हाथ में था, तो एफआईआर सिर्फ निजी लोगों तक सीमित क्यों रही? उन्होंने कहा कि एक आदमी इस तरह से काम नहीं कर सकता, पूरा सरकारी तंत्र जांच के दायरे में होना चाहिए, नगर निगम के अफसरों को क्यों छोड़ा जाए?

अरेरा कॉलोनी में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के बाहर रविवार को रहवासियों ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. रहवासियों का कहना है कि मंदिर के बेहद पास शराब का ठेका संचालित हो रहा है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और क्षेत्र का सामाजिक माहौल भी खराब हो रहा है. प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्वयं इंच टेप की मदद से मंदिर और शराब ठेके के बीच की दूरी नापी. नाप में यह दूरी मात्र 29 मीटर पाई गई. कानूनगो ने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकान संचालित नहीं हो सकती, लेकिन यहां नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में वह रहवासियों के साथ खड़े हैं और शराब ठेका हटवाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.

Source: https://www.rajexpress.com/en/mp-cgnews/bhopal-arya-samaj-temple-liquor-shop-protest-nhrc-inspection

आर्य समाज मंदिर के पास 29 मीटर दूरी पर शराब ठेका: रहवासियों का प्रदर्शन, NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने खुद नापी दूरी, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग

Sun, 08 Feb, 2026

2 min read

भोपाल में आर्य समाज मंदिर के बाहर स्थानीय रहवासियों ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर के पास महज 50 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका संचालित हो रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। रहवासी लंबे समय से इस शराब ठेके को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

प्रियंक कानूनगो ने किया निरीक्षण

इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आर्य समाज मंदिर का दौरा किया। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान मंदिर के पास स्थित शराब दुकान की दूरी को लेकर शिकायतों की जांच की गई। प्रियंक कानूनगो ने स्वयं इंची टेप की मदद से मंदिर और शराब दुकान के बीच की दूरी नापी। जांच में यह दूरी महज 29 मीटर पाई गई, जो निर्धारित गाइडलाइन से काफी कम है। दूरी नापने के बाद उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकान होना प्रतिबंधित है। चूंकि यह दूरी मानकों से कम है, इसलिए संबंधित दुकान पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप

प्रियंक कानूनगो ने आरोप लगाया कि शराब माफिया और पुलिस की मिलीभगत के कारण कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने पर लोगों से अनावश्यक प्रमाण मांगे जाते हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखी जाए।

स्थानीय बुजुर्ग महिला

स्थानीय नागरिक

प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राघव शर्मा, रिपोर्टर, राज एक्सप्रेस

Voice of MP, Online News, 09/02/2026

Source:
https://voiceofmp.com/user/description/Description_control/news_description/338897

KHABAR : भोपाल में आर्य समाज मंदिर के सिर्फ 29 मीटर पर शराब ठेका, रहवासियों का प्रदर्शन, एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने खुद नापी दूरी, पढ़े खबर

भोपाल। राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। यहां आर्य समाज मंदिर के ठीक बगल में सिर्फ 29 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान संचालित हो रही है। नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों से शराब ठेके कम से कम 100 मीटर दूर होने चाहिए, लेकिन यहां इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। लंबे समय से परेशान रहवासी आज मंदिर के बाहर सड़क पर उतर आए। उन्होंने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
वहीं इस दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. प्रियंक कानूनगो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद इंच टेप लेकर मंदिर और शराब दुकान के बीच की दूरी नापी और पाया कि यह महज 29 मीटर है। कानूनगो ने कहा, “नियम साफ है दृ 100 मीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन यहां 29 मीटर पर ही शराब ठेका चल रहा है। मैं रहवासियों के साथ खड़ा हूं और इस ठेके को हटवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा।”
रहवासियों का कहना है कि एक तरफ श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं, दूसरी तरफ नशेड़ी इकट्ठा हो रहे हैं, यह स्थानीय प्रशासन की नाकामी है। पहले भी इस मुद्दे पर छभ्त्ब् में शिकायत हुई थी, लेकिन आबकारी विभाग ने मंदिर को ‘धार्मिक स्थल’ नहीं मानने का तर्क दिया था। अब प्रदर्शन और कानूनगो की सक्रियता से मामला गरमा गया है।